

15/6/25

आधिवक्ता अपीलॉट ने प्र. पत्र पेश कर निवेदन किया कि अपीलॉट उक्त अपील को भागे नहीं चलाना चाहते हैं। प्रकरण में आगामी पेशी 5/6/25 नियत है। अतः उक्त पत्रा. आज ही पेशी में ली जाकर जरिये नोट-उपेद श्वारिज फुरमाया जावे। आधिवक्ता अपी. का प्रार्थना पत्र न्यायदित में स्वीकार किया जाता है। एवं पत्रावली आज पेशी में लिये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त अपील जरिये नोट-उपेद श्वारिज की जाती है। पत्रावली फुदल शुमार होकर मम्बर स कुम होकर दायिल दफ्तर है।

राजस्व अपील प्राधिकारी  
पाली

*Notepress*